सं०–03 / परी०–B.T.S.C.-127 / 2022.....895   दिनांकः–.....05|04|2023

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग
19, हार्डिग रोड, पटना।

आवश्यक सूचना

विज्ञापन सं०–01 / 2022, **ट्यूटर (नर्सिंग)** के पद पर नियुक्ति हेतु दिनांक–01.03.2023 एवं 02.03.2023 को आयोजित काउंसलिंग के पूर्व किये गये Scrutiny एवं प्राप्त कई आपत्ति आवेदन पत्र के आपत्ति निष्पादन के पश्चात् अभ्यर्थियों को काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किये जाने की सूचना आयोग के पत्रांक–752, दिनांक–17.03.2023 से प्रकाशित की गयी। उक्त सूची के प्रकाशनोपरांत कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया कि संबंधित कोटि में काउंसलिंग Cut-off से अधिक अंक होने के बावजूद काउंसलिंग में आमंत्रित नहीं किया गया है। वैसे सभी आवेदन पत्रों की समीक्षा की गई एवं समीक्षोंपरान्त् कतिपय अभ्यर्थियों का आयोग स्तर पर दिनांक–27.03.2023 को कुल–05 अभ्यर्थियों एवं 31.03.2023 को कुल–03 अभ्यर्थियों का विशेष काउंसलिंग कराया गया। CWJC No.-2439/2022 ध्यानी ठाकुर बनाम सरकार एवं अन्य में दिनांक–15.06.2022 को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन के क्रम में दिनांक–03.04.2023 को 01 अभ्यर्थी का विशेष काउंसलिंग कराया गया।

दिनांक–27.03.2023, दिनांक–31.03.2023 एवं दिनांक–03.04.2023 को आयोजित विशेष काउंसलिग में उपस्थित सभी अभ्यर्थियों का प्राप्तांक उनके नाम एवं रजिस्ट्रेशन नम्बर के साथ आयोग के वेबसाईट– www.btsc.bih.nic अथवा इस लिंक पर (http://103.112.252.139/TUTOR) आपत्ति दर्ज करने (यदि हो तो) हेतु डाला जा रहा है।

अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर, मोबाईल नम्बर एवं जन्म तिथि डालकर registered मोबाईल नम्बर पर प्राप्त OTP के माध्यम से Login कर दर्शायी गई सभी विवरणी यथा, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, कोटि, प्राप्तांक आदि देखकर संतुष्ट हो लें। किसी प्रकार का कोई त्रुटि होने पर अथवा प्राप्तांक से असंतुष्ट / असहमत होने पर अपना आपत्ति कारण सहित **दिनांक–05.04.2023 से दिनांक–07.04.2023 को संध्या 06:00 बजे तक** आयोग के वेबसाईट पर Raise Objection बटन पर Click करके दर्ज कर सकते है।

उक्त Online Objection के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ई–मेल / निबंधित डाक / कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

आपत्ति डालने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निदेशों को ध्यानपूर्वक समझ लें:–

1. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है। सभी शैक्षणिक (अनिवार्य योग्यता / उच्चतर योग्यता) के प्रमाण–पत्रों की निर्गत तिथि 23.02.2022 तक का होना अनिवार्य है।
2. उच्चत्तर योग्यता का प्रमाण–पत्र नहीं रहने के कारण उच्चत्तर योग्यता का अंक नहीं दिया गया है। उच्चतर योग्यता के अंक हेतु केवल अंक पत्र अथवा Course Completion Certificate को मान्य नहीं किया गया है।
3. अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का निबंधन प्रमाण–पत्र बिहार परिचारिका निबंधन परिषद् से निबंधित नहीं होने के कारण अयोग्य किया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का

बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से निबंधन 23.06.2022 तक का होना अनिवार्य है।

4. संविदा/प्रतिनियुक्ति के आधार पर **टयूटर** के पद पर कार्यरत नहीं रहने के कारण कार्यानुभव का अंक नहीं दिया गया है। किसी अन्य पद पर कार्यरत कर्मियों को कार्यानुभव का अंक विज्ञापन की कंडिका 3(iii) के अनुसार देय नहीं है।
5. कार्यानुभव प्रमाण–पत्र विज्ञापन की कंडिका 3(iv) के अनुसार सक्षम प्राधिकार **(संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के अधीक्षक एवं संबंधित जिला के सिविल सर्जन)** द्वारा निर्गत नहीं होने पर कार्यानुभव का अंक देय नहीं है। कार्यानुभव प्रमाण–पत्र दिनांक–23.06.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
6. Online आवेदन में दावा किये गये कोटि के अनुसार अनिवार्य प्रमाण–पत्र यथा– जाति प्रमाण–पत्र (SC/ST हेतु), क्रिमीलेयर प्रमाण–पत्र (EBC/BC हेतु), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण–पत्र (EWS हेतु) नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण–पत्र दिनांक–23.06.2022 तक का निर्गत होने पर मान्य किया गया है।
7. Online आवेदन में अंकित आरक्षण कोटि से इतर कोटि का प्रमाण–पत्र संलग्न रहने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
8. क्रिमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र/जाति प्रमाण–पत्र पति के नाम से होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
9. स्वतंत्रता सेनानी के नाती–नतिनी/पोता–पोती द्वारा संक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
10. दिव्यांगता प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं किये जाने अथवा दिव्यांगता का प्रतिशत 40% से कम होने पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है।
11. विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अर्हता को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है।

नोटः– 1. **प्राप्त आपत्ति के पश्चात् सभी अभ्यर्थियों के अंको की पुनः जाँच की जाएगी एवं जाँचोपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी।**

2. **संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों के प्राप्तांको की जाँच हेतु अपलोड की गयी है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाय।**

5.4.2023

प्रभारी सचिव,
बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

D:\2022\Tutor\AAPTI SUCHNA\AAPTI SUCHNA (After Counselling)_2